



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 4 दिसम्बर 2020

अग्रहायण 13, 1942 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पी०सी०एफ० भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

संख्या 2020302875/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/15-19/2020

लखनऊ दिनांक, 4 दिसम्बर, 2020

संशोधित अधिसूचना

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या-2020302041/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/15-19/2020 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को संशोधित करते हुए यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार वृहद् पुनरीक्षण किया जाएगा :-

समय-सारिणी

| क्र०सं० | कार्यक्रम | अवधि |
|---------|---|--|
| 1 | ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना | 13 नवम्बर, 2020 से 26 दिसम्बर, 2020 तक |
| 2 | ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन | 27 दिसम्बर, 2020 |
| 3 | ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण | 28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक |
| 4 | दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना (01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी दावे स्वीकार किए जाएंगे) | 28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक |
| 5 | दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण | 04 जनवरी, 2021 से 11 जनवरी, 2021 तक |
| 6 | दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही | 12 जनवरी, 2021 से 21 जनवरी, 2021 तक |
| 7 | निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन | 22 जनवरी, 2021 |

2-उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन जनवरी, 2021 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

आज्ञा से,
मनोज कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।